10-12-19

मालूराम बनाम किशनी आदि

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट की तरफ से ही जयचन्दलाल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली अभिभाभक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पेश हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामें के अनुसरण में डिक्री जारी की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं करते हुए प्रकरण में राजीनामें के अनुसार डिक्री जारी करने के कथन का समर्थन किया।

प्रकरण में चूंकि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा राजनामें के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा बम्बलू तहसील बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 219 तादादी 6.97 हेक्टर व खसरा नम्बर 320 तादादी 6.01 हेक्टर बरबत् डिक्री जारी किये जाने का कथन किया गया है। अतः प्रकरण राजीनामें के अनुसरण में निष्पादित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत राजीनामें को पक्षकारों की उपस्थिति में तस्दीक करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित करें। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मूल राजीनामें की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

[illegible]
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 15:29:46 IST
Reason: SelfAttested